न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/190/2017

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
महेन्द्र मोहन पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र जाति–रैगर, ग्राम–धीरोडा, तह0 राजगढ, जिला–अलवर–301410		लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः– 03.01.2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 05.10.2017 के माध्यम से उपखण्ड कार्यालय राजगढ को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट (पीआईएल) पीटिशन नंबर 12324/16 एवं अवमानना याचिका संख्या 765/17 में पारित निर्णय की अनुपालना में की गई कार्यवाही संबंधी उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर) में संधारित पत्रावली में शामिल ऑर्डरसीट सहित समस्त पत्रादि की प्रमाणित फोटोप्रति एवं अन्य विविध कुल 04 बिन्दुओं पर बिन्दुवार सूचना चाही गई थी।
5. आवेदक द्वारा प्रा.पत्र दि. 05.10.2017 के बिन्दु सं. 1 के संबंध में वांछित सूचना नहीं मिलने के कारण प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2017/1240–41 दिनांकः 30.11.2017 के माध्यम तलब कर दिनांकः 13.12.2017 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से पत्रांकः 4647 दिनांकः 07.12.2017 के माध्यम से जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार प्रार्थना–पत्र दिनांकः 05.10.2017 के बिन्दु सं.1 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि "वांछित सूचना माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित है, इस स्तर से उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है एवं विशेष कथन अंतर्गत इंगित किया है कि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन–पत्र दिनांकः 05.10.2017 के बिन्दु सं.1 में अवमानना याचिका संख्या 765/2017 माननीय उच्च न्यायालय, डबल बेंच जयपुर पीठ के आदेश की पालना में की गई कार्यवाही के संबंध में चाही गई है। माननीय न्यायालय के आदेश की मूल पालना

रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जाकर शामिल प्रकरण हो चुकी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8ख के अनुसार न्यायालय अवमानना की श्रेणी आती है। अपीलार्थी न्यायालय की अवमानना याचिका संख्या 765/2017 निहालसिंह वगैरहा बनाम सरकार में पक्षकार भी नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी निराधार एवं किसी भी दृष्टि से पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।''

8. हमने प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस/अपीलोत्तर एवं अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील व आवेदन–पत्र दिनांकः 05.10.2017 में वांछित सूचना का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 05.10.2017 के बिन्दु सं.1 अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट (पी.आई.एल.) पीटिशन नं. 12324/16 एवं अवमानना याचिका सं0 765/17 के मामलों में पारित किये गये निर्णयादेशों का अनुपालन करने हेतु की गई कार्यवाहियों के संबंध में उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर) के कार्यालय में/पर संधारित की गई पत्रावली के संबंध में सूचना चाही गई है, जो न्यायिक कार्यवाही नहीं है।

9. माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसरण में की गई कार्यवाही/अनुपालना कार्यालयी पत्राचार है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रा.पत्र दि0 05.10.17 के बिन्दु सं.1 अन्तर्गत वांछित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ख) अन्तर्गत न्यायालय अवमानना की श्रेणी अन्तर्गत इंगित किया है।

10. अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना एवं प्रत्यर्थी कार्यालय द्वारा प्रेषित जवाब नोटिस/अपीलोत्तर से उक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के निर्णय आदेश दिनांकः 22.09.2016 की अवहेलना, Contempt of Court की स्थिति नहीं बनती है। क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ख) में वर्णित है कि ''सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है।'' इसी संदर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 8(1) के अनुसार विनिश्चय किए जाने और संबंधित विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात्, संबंधित सूचना जनता को उपलब्ध कराई जाएगी। आलोच्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है।

11. आलोच्य प्रकरण में वांछित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ञ) के अनुसरण में व्यक्तिगत सूचना अन्तर्गत भी नहीं है, लोक क्रिया–कलाप से संबंधित है। यदि अपीलार्थी उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं है तो प्रत्यर्थी को चाहिए था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 (Third Party Information) के प्रावधानानुसार संबंधित प्रकरण में पक्षकारों को नोटिस जारी कर सहमति/अनापत्ति प्राप्त करनी चाहिए थी। उक्त विधिक प्रक्रिया का प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पालन नहीं किया। उक्त के अतिरिक्त प्रत्यर्थी विभाग द्वारा डी.बी. सिविल रिट (पीआईएल) पीटिशन नंबर 12324/16 के संबंध में अपीलोत्तर में कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है।

12. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांकः 05.10.2017 के बिन्दु सं.1 अन्तर्गत वांछित सूचना, कार्यालय में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अलवर (राज.)

उपलब्ध/संधारित पत्रावली से नियमानुसार अधिप्रमाणित कर निःशुल्क ही अपीलार्थी को प्रार्थना–पत्रानुसार उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

13. अपील का उक्तानुसार निस्तारण किया जाता है।
14. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
15. निर्णय घोषित ।

(राकेश कुमार)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)